पत्रांक–2प/वि०–2–26/2014/.02(स्वी०)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 18/04/2025

विषयः– **राज्य के कुल 78 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,90,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में 8053 ग्राम पंचायतों को सशक्त एवं इनके क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में अबतक कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से 1629 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 628 में निर्माणाधीन है।

2. निर्मित पंचायत सरकार भवनों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु इसमें उपस्कर की आपूर्त्ति/क्रय किया जाना है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में सम्प्रति कुल 78 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए संलग्न विवरणी अनुलग्नक–A के अनुरूप उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹3,90,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वीकृत/आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं पंचायती राज विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–16 के तहत राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800 अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायतों के विभिन्न मदों हेतु" का विषय शीर्ष 0114.31.06–सहायक अनुदान–गैरवेतन' के अन्तर्गत है। इसका विपत्र कोड 16–2515008000114 है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

D:\ABHILASHA 2024\DUBEY SIR\Swikrityadesh.docx

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

8. इस स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ संख्या 165/टि0 दिनांक 09.04.25 को प्राप्त है एवं सचिव का अनुमोदन पृष्ठ संख्या 168/टि0 दिनांक 16.04.25 को प्राप्त है।

9. इस स्वीकृत्यादेश का प्रत्येक पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्क : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–2–26/2014/02(स्वी0)/प0रा0 पटना, दिनांक 18/04/2025

ज्ञापांक : कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, कैमूर, शिवहर, सुपौल, अररिया, भागलपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णिया एवं सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–2–26/2014/02(स्वी0)/प0रा0 पटना, दिनांक 18/04/2025

ज्ञापांक : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, कैमूर, शिवहर, सुपौल, अररिया, भागलपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णिया एवं सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–2–26/2014/02(स्वी0)/प0रा0 पटना, दिनांक 18/04/2025

ज्ञापांक : जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, कैमूर, शिवहर, सुपौल, अररिया, भागलपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णिया एवं सीवान/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, कैमूर, शिवहर, सुपौल, अररिया, भागलपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णिया एवं सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–2–26/2014/02(स्था0)/प0रा0 पटना, दिनांक 18/04/2025
ज्ञापांक : प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5, पंचायती राज विभाग/आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–2–26/2014/02(स्था0)/प0रा0 पटना, दिनांक 18/04/2025
ज्ञापांक : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/4/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–2–26/2014/02(स्था0)/प0रा0 पटना, दिनांक 18/04/2025
ज्ञापांक : आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

18/4/25

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–1

पूर्ण हो चुके पंचायत सरकार भवन में उपस्कर क्रय हेतु जिला से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रति ग्राम पंचायत ₹5000000.00 की दर से राशि की विवरणीः–

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रति पंचायत ₹500000.00 की दर से स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पूर्वी चम्पारण	सुगौली	उत्तरी सुगॉव	500000.00 (पॉच लाख)
2	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कुरम्हा	500000.00 (पॉच लाख)
		बारूण	कंचनपुर	500000.00 (पॉच लाख)
		नबीनगर	जयहिन्द तेन्दुआ	500000.00 (पॉच लाख)
			मुंगिया	500000.00 (पॉच लाख)
		कुटुम्बा	दधपा	500000.00 (पॉच लाख)
			डुमरी	500000.00 (पॉच लाख)
		रफीगंज	बघौरा	500000.00 (पॉच लाख)
			बलिगॉव	500000.00 (पॉच लाख)
		देव	बेढ़नी	500000.00 (पॉच लाख)
3	बेगूसराय	नावकोठी	विष्णुपुर आहोक	500000.00 (पॉच लाख)
		मटिहानी	मनिअप्पा	500000.00 (पॉच लाख)
4	कैमूर	अधौरा	दिघार	500000.00 (पॉच लाख)
		भभुआ	दुमदुम	500000.00 (पॉच लाख)
			महुअत	500000.00 (पॉच लाख)
		भगवानपुर	पहडिया	500000.00 (पॉच लाख)
		चैनपुर	करजांव	500000.00 (पॉच लाख)
		मोहनियॉ	भरखर	500000.00 (पॉच लाख)
			पानापुर	500000.00 (पॉच लाख)
		रामगढ़	सदुल्लहपुर–डरवन	500000.00 (पॉच लाख)
			सिझुआ	500000.00 (पॉच लाख)
		रामपुर	अमांव	500000.00 (पॉच लाख)
			बेलांव	500000.00 (पॉच लाख)
		चॉद	कुड्डी	500000.00 (पॉच लाख)
			सौखरा	500000.00 (पॉच लाख)
		दुर्गावती	छांव	500000.00 (पॉच लाख)
			खड़सरा	500000.00 (पॉच लाख)
		कुदरा	चिलबिली	500000.00 (पॉच लाख)
			ससना	500000.00 (पॉच लाख)
5	शिवहर	पुरनहिया	बखार चण्डिहा	500000.00 (पॉच लाख)
		पिपराही	परसौनी बैज	500000.00 (पॉच लाख)
			मेसौढा	500000.00 (पॉच लाख)
		तरियानी	सलेमपुर	500000.00 (पॉच लाख)
6	सुपौल	प्रतापगंज	सुखानगर	500000.00 (पॉच लाख)
		बसंतपुर	रतनपुर	500000.00 (पॉच लाख)
			कुशहर	500000.00 (पॉच लाख)
		त्रिवेणीगंज	गोनहा	500000.00 (पॉच लाख)
			कुशहा	500000.00 (पॉच लाख)
		राघोपुर	विशनपुर दौलत	500000.00 (पॉच लाख)
		सुपौल	अमहा	500000.00 (पॉच लाख)
		छातापुर	जीवछपुर	500000.00 (पॉच लाख)

		पीपरा	पथरा उत्तर	500000.00 (पाँच लाख)
			रामनगर	500000.00 (पाँच लाख)
7	अररिया	फारबिसगंज	कुशमाहा	500000.00 (पाँच लाख)
		सिकटी	दहगामा	500000.00 (पाँच लाख)
		भरगामा	सिरसिया हनुमानगंज	500000.00 (पाँच लाख)
8	भागलपुर	कहलगांव	कोदवार	500000.00 (पाँच लाख)
		नाथनगर	गोसाई दासपुर	500000.00 (पाँच लाख)
9	नवादा	अकबरपुर	फतेहपुर	500000.00 (पाँच लाख)
		रजौली	हरदिया	500000.00 (पाँच लाख)
			सवैयाटांड़	500000.00 (पाँच लाख)
			जोगियामाड़न	500000.00 (पाँच लाख)
		वारसलीगंज	ठेरा	500000.00 (पाँच लाख)
		नारदीगंज	मसौढा	500000.00 (पाँच लाख)
		सिरदल्ला	बाधी	500000.00 (पाँच लाख)
10	नालंदा	हिलसा	योगीपुर	500000.00 (पाँच लाख)
		बिहार शरीफ	मुरौड़ा	500000.00 (पाँच लाख)
			बियवानी	500000.00 (पाँच लाख)
		सिलाव	नानंद	500000.00 (पाँच लाख)
		इस्लामपुर	मोहनचक	500000.00 (पाँच लाख)
			सुहावनपुर सुढी	500000.00 (पाँच लाख)
		रहुई	पेसौर	500000.00 (पाँच लाख)
			दोसुत	500000.00 (पाँच लाख)
		वेन	नेहुसा	500000.00 (पाँच लाख)
		सरमेरा	केनार	500000.00 (पाँच लाख)
		चण्डी	महकार	500000.00 (पाँच लाख)
		अस्थावां	सारे	500000.00 (पाँच लाख)
		करायपरशुराय	बेरथू	500000.00 (पाँच लाख)
11	पूर्णिया	कसबा	कुल्लाखास	500000.00 (पाँच लाख)
		जलालगढ़	खासीपुर बेगमपुर	500000.00 (पाँच लाख)
		रूपौली	घुसड़ टीकापट्टी	500000.00 (पाँच लाख)
		श्रीनगर	चनका	500000.00 (पाँच लाख)
		धमदाहा	नीरपुर	500000.00 (पाँच लाख)
12	सीवान	बसंतपुर	कन्हौली	500000.00 (पाँच लाख)
		बड़हरिया	दीनदयालपुर	500000.00 (पाँच लाख)
		सीवान सदर	भंटा पोखर	500000.00 (पाँच लाख)
			पीठौरी	500000.00 (पाँच लाख)
		नवतन	खलवा	500000.00 (पाँच लाख)
कुल		58	78	**₹3,90,00,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख रूपये) मात्र**

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव